

कार्यालय, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, जनपद कौशांबी।

संख्या 1872 / न0पा0परि0मं0/ई-निविदा सूचना/2023

दिनांक 20 नवम्बर, 2023

ई-निविदा सूचना

स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को सूचित किया जाता है कि 15वां वित्त आयोग बुनियादी अनुदान (क्रमांक 1 से 09 तक) 15वां वित्त आयोग निर्दिष्ट अनुदान (क्रमांक 10 से 17 तक) में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी महोदय, कौशांबी के द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु ई-निविदा ऑनलाइन आमंत्रित किया जाता है।

क्र.सं.	निविदा का विवरण	दिनांक	समय	क्र.सं.	निविदा का विवरण	दिनांक	समय
1	ई-निविदा वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित की तिथि/समय	22.11.2023	अपराह्न 05:00 बजे से	4	ई-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र जमा करने की तिथि/समय	12.12.2023	अपराह्न 05:00 बजे तक
2	ई-निविदा अपलोड किये जाने की प्रारम्भ तिथि/समय	22.11.2023	अपराह्न 05:00 बजे से	5	ई-निविदा तकनीकी विड खोले जाने की तिथि/समय	13.12.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे से
3	ई-निविदा अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि/समय	12.12.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे तक	6	ई-निविदा वित्तीय विड खोले जाने की तिथि/समय	14.12.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे से

ई-निविदा में सम्मिलित कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है -


क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी.एस.टी. रहित) (रु० में)	बिड सिक्कोरिटी (ई.एम.डी. 10%) (रु० में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
15वां वित्त आयोग बुनियादी अनुदान					
1	वार्ड नं० 03, नेहरू नगर में मोहन लाल के घर से सुखराम सरोज के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	2205961.00	220596.00	2603.00	02 माह
2	वार्ड नं० 05, सरदार पटेल नगर मजरा चकनगर प्रथम में सुनील शुक्ला के घर से देवराज के घर तक इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	1047956.00	104796.00	1237.00	02 माह
3	वार्ड नं० 10, अशोक नगर मजरा नया पुरवा में हरिश्चन्द्र के घर से मनोज के घर तक इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	1024324.00	102432.00	1209.00	02 माह
4	वार्ड नं० 14, वत्स नगर मजरा कोरों में रामचन्द्र के घर से केसन के घर तक इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	865657.00	86566.00	1021.00	02 माह
5	वार्ड नं० 15, सुभाष चन्द्र बोस नगर मजरा मंगरोहनी में कुलदीप तिवारी के घर से मुन्नी लाल रैदास के घर तक इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	1219665.00	121967.00	1439.00	02 माह
6	वार्ड नं० 17, गौतम बुद्ध नगर मजरा महुआ खाड़ा में लवकुश के घर से कमलेश के घर तक इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	1213931.00	121393.00	1432.00	02 माह
7	वार्ड नं० 18, संत गाडगे नगर मजरा गडेरियन का पूरा में शिवमोहन विश्वकर्मा के घर से उद्येश्याम यादव के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	1213196.00	121320.00	1432.00	02 माह
8	वार्ड नं० 20, चन्द्रशेखर आजाद नगर मजरा गौसपुर टिकरी में मार्ग में प्रकाश व्यवस्था हेतु 7 मीटर पोल पर एल.ई.डी. लाइट सहित अधिष्ठापन कार्य।	3331481.00	333148.00	3931.00	02 माह
9	वार्ड नं० 23 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मजरा मवई केवट में कमलेश के घर से तालाब तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1117983.00	111798.00	1319.00	02 माह
15वां वित्त आयोग निर्दिष्ट अनुदान					
10	वार्ड नं० 14, वत्स नगर मजरा कोरों में 17.50 HP नलकूप के साथ पम्प हाउस व 63 कं०वी०ए० ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापन का कार्य।	2936964.00	293696.00	3466.00	02 माह
11	वार्ड नं० 14, वत्स नगर मजरा कोरों में 17.50 HP नलकूप भवन से मुख्य मार्ग पर 160 एम०एम० डी०आई० पाइप लाईन विस्तार कार्य।	3053244.00	305324.00	3603.00	02 माह
12	वार्ड नं० 14, वत्स नगर मजरा कोरों में विभिन्न स्थानों पर पेयजल हेतु 90 एम०एम० एवं 110 एम०एम० एच०डी०ई०पी० पाइप लाईन विस्तार कार्य।	3388696.00	338870.00	3999.00	02 माह
13	वार्ड नं० 14, वत्स नगर मजरा कोरों में अरविन्द तिवारी के घर के पास में टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	3385107.00	338511.00	3994.00	02 माह
14	वार्ड नं० 19, रतनावली पुरम मजरा बंधवा रजबर गौशला रोड पर ननबच्चा स्मारक व प्रभावती पम्प हाउस के पास में टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	3370062.00	337006.00	3977.00	02 माह
15	वार्ड नं० 20, चन्द्रशेखर आजाद नगर मजरा गौसपुर टिकरी में 17.50 HP नलकूप के साथ पम्प हाउस व 63 कं०वी०ए० ट्रान्सफार्मर अधिष्ठापन का कार्य।	2936964.00	293696.00	3466.00	02 माह
16	वार्ड नं० 20, चन्द्रशेखर आजाद नगर मजरा गौसपुर टिकरी में 17.50 HP नलकूप भवन से मुख्य मार्ग पर 160 एम०एम० डी०आई० पाइप लाईन विस्तार कार्य।	3053244.00	305324.00	3603.00	02 माह
17	वार्ड नं० 20, चन्द्रशेखर आजाद नगर मजरा गौसपुर टिकरी में विभिन्न स्थानों पर पेयजल हेतु 90 एम०एम० एवं 110 एम०एम० एच०डी०ई०पी० पाइप लाईन विस्तार कार्य।	3388696.00	338870.00	3999.00	02 माह


नियम/शर्तें:-


- उपरोक्त ई-निविदा की विस्तृत जानकारी ई-टेंडर वेब साइट <http://etender.up.nic.in> तथा नगर पालिका परिषद मंझनपुर की वेब साइट www.nppmanjhanpur.in से डाउनलोड कर अथवा नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर उपरोक्त ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
- उपरोक्त ई-निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यों में निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के द्वारा निर्गत निर्देश पत्र संख्या टी.सी. /314/8/डी.एल.बी./2020 दिनांक 01.01.2021 में निर्माण कार्यों हेतु उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग अनुभाग-9 उ०प्र० शासन के द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विषयक निर्गत शासनादेश संख्या 1319/नौ-9-21-45ज/21 नगर विकास विभाग, अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित समस्त निर्देशों के साथ ही भिन्न-भिन्न समय में उच्चाधिकारियों के द्वारा निर्गत किये गये तथा भविष्य में निर्गत होने वाले समस्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
- उपरोक्त ई-निविदा में स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म से आमंत्रित की गयी है। ई-निविदा के साथ किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ ही ठेकेदार/फर्म के द्वारा अपना अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र (T-4), हैसियत प्रमाण पत्र (T-5), निर्धारित मूल्य (रु० 100) के एकल न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर कार्य के नाम के स्पष्ट उल्लेख के साथ घोषणा पत्र (T-6), GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, श्रम विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र, निर्धारित मूल्य (रु० 10) के एकल गैर-न्यायिक स्टॉम्प पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है एवं विभागीय समस्या न होने की स्थिति में स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध में दिये गये कार्य अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करना होगा, अन्यथा की दशा में निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् रूपया पांच सौ प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा अथवा सम्बन्धित कार्य के बिल से विलम्ब शुल्क समायोजित करते हुए कटौती की जायेगी, विषयक शपथ पत्र की मूल प्रति ई-निविदा पोर्टल में स्पष्ट रूप से पठनीय हो, स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा तकनीकी विड खोलने हेतु उल्लिखित समयवधि के पूर्व उपरोक्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति (सील बन्द लिफाफे) में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा (जिससे निविदा में संलग्न प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जा सके) अन्यथा सम्बन्धित की ई-निविदा तकनीकी रूप से निरस्त समझी जायेगी।

20/11/23

4. ई-निविदा में सम्मिलित कार्यों के समान प्रकृति से जुड़े कार्य विषयक किसी एक या एक से अधिक शासकीय विभाग का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित कार्य के लिए वही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा जो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा निविदा हेतु प्रस्तावित उपरोक्त कार्य की धनराशि या उससे अधिक धनराशि के संतोषजनक ढंग से कार्य को पूर्ण करने से सम्बन्धित विगत तीन वित्तीय वर्ष के अन्दर के हो तथा यह भी कार्य के प्रकृति के अनुरूप कार्य कराये जाने का अनुभव सम्बन्धित कार्य की निविदा में मान्य होगा।
5. ई-निविदा वेब साइट पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा स्कैन कर अपलोड किये जाने वाले सभी प्रपत्र प्रत्येक दशा में दृश्य एवं स्पष्ट रूप से पठनीय होने चाहिये, अपलोड किये जाने वाले डाक्यूमेंट दृश्य एवं स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं होंगे, सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की विड/निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
6. ई-निविदा में सम्मिलित प्रत्येक कार्य का निविदा शुल्क/जमानत धनराशि पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा शुल्क की धनराशि फर्म/ठेकेदार के खाते या फर्म के प्रोपराइटर के खाते से जमा करने विषयक ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगी।
7. ई-निविदा शुल्क की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंझनपुर IFSC कोड PUNB0486900 खाता संख्या 4869000100057833 जो NPP Manjhanpur Tender Fees/Security के नाम से खुले बैंक खाते में जमा करना होगा तथा जमा धनराशि का प्रमाण ई-निविदा की तकनीकी विड खोलने के पूर्व ठेकेदारी विषयक स्वप्रमाणित प्रपत्रों व जमानत धनराशि की मूल प्रति के साथ सील बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा, तभी ई-निविदा मान्य होगी।
8. उपरोक्त ई-निविदा में आवश्यक डाक्यूमेंट के साथ सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का नगर पालिका परिषद मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में किसी भी प्रकार का शासकीय बकाया नहीं है, इस आशय का अदेयता प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तभी तकनीकी विड स्वीकृत किया जायेगा।
9. नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के द्वारा पूर्व में आमंत्रित ई-निविदा में सम्मिलित ऐसे ठेकेदार/फर्म जिनके पक्ष में L1 दर होने के कारण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था, परन्तु अभी तक स्वीकृत पत्र जारी होने के बाद भी अनुबन्ध नहीं कराया गया है तो सम्बन्धित की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा यह भी कि यदि अनुबन्ध कराया गया है तो कोई विभागीय समस्या होने के कारण उपरोक्त स्वीकृत कार्य सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने का इच्छुक होने पर भी वर्तमान में कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसे कार्यों को छोड़ कर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के पक्ष में स्वीकृत तीन या तीन से अधिक कार्य निविदा के प्रकाशन तिथि तक अपूर्ण/अधूरे हैं, कि निविदा पर विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. ई-निविदा खोलने से पूर्व निविदा प्रपत्र के साथ 10% जमानत धनराशि का FDR जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बन्धक हो, को मूल रूप में सम्बन्धित तकनीकी विड खोलने के पूर्व ठेकेदार/फर्म के द्वारा निविदा के साथ स्कैन किये गये ठेकेदारी विषयक वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अंथथा सम्बन्धित कार्य की तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी किसी भी कार्य की निविदा के साथ संलग्न जमानत धनराशि की FDR की प्रति मात्र एक कार्य की निविदा में ही मान्य होगी अर्थात् जमानत धनराशि के FDR में उल्लिखित धनराशि अधिक होने पर भी उपरोक्त जमानत धनराशि का FDR किसी अन्य कार्य की निविदा में मान्य नहीं होगी।
11. शासनादेश संख्या-11593/नौ-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुसार अनुबंध गठन के समय 10 प्रतिशत बिलो (Below) दर तक 03.00 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 0.50 प्रतिशत कम पर सिविलीयोरिटी/परफार्मेंस गारण्टी का अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बंधक युक्त FDR निविदा स्वीकृत पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुबन्ध का गठन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा यह मानते हुए की आपके द्वारा निविदा बाधित करने के उद्देश्य से निविदा डाली गयी है मानते हुए आपके पक्ष में निर्गत स्वीकृत पत्र निरस्त करते हुए आपके निविदा के साथ जमा की गयी 10% जमानत धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त करते हुए उपरोक्त निविदा में L2 दरदाता की निविदा के पक्ष में स्वीकृत करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
12. ई-निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि तथा सशर्त ई-निविदा मान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण पाये जाने पर आशिक रूप से या सम्पूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा संशोधन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
13. ई-निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यों हेतु जमा की गयी जमानत धनराशि को शासन द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का निर्धारण पत्र संख्या 1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 07 जनवरी, 2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष तक कार्य संतोषजनक विषयक आख्या के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।
14. ई-निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित मूल्य के स्टाप पेपर एवं निर्धारित प्रारूप पर स्वयं के व्यय पर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा अनुबन्ध कराना होगा।
15. प्रत्येक स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध से पूर्व ठेकेदार को श्रम विभाग में अधिष्ठान पंजीयन एवं निर्माण श्रमिक पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
16. स्वीकृत कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की कलर फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
17. कार्य समाप्त करने की दी गयी समयावधि का आधा समय बीत जाने या अधिकतम अनुबन्ध गठित होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार के द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है, तो उसके पक्ष में स्वीकृत निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
18. निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच/सत्यापन हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पायी जायेगी तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा जमा जमानत/परफार्मेंस धनराशि जब्त करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
19. निविदाओं में अंकित कार्यों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
20. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वय नियमित रूप से ई-निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेब साइट <http://etender.up.nic.in> पर लॉग इन करें तथा विड डाक्यूमेंट को डाउनलोड करें।
21. उपरोक्त ई-निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा समस्त विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद कौशाम्बी होगा।


20/11/23
(ओमकार पटेल)
अवर अभियन्ता (सिविल)
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी


(अनिल कुमार)
अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी


(बीरेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

कार्यालय, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

ई-निविदा सूचना

स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को सूचित किया जाता है कि 15वां वित्त आयोग बुनियादी/निर्दिष्ट अनुदान में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी के द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु ऑनलाइन ई-निविदा निम्न कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रित किया जाता है।

क्र.सं.	निविदा का विवरण	दिनांक	समय
1	ई-निविदा वेबसाइट पर निविदा आमंत्रित की तिथि/समय	22.11.2023	अपराह्न 05:00 बजे से
2	ई-निविदा अपलोड किये जाने की प्रारम्भ तिथि/समय	22.11.2023	अपराह्न 05:00 बजे से
3	ई-निविदा अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि/समय	12.12.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
4	ई-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र जमा करने की तिथि/समय	12.12.2023	अपराह्न 05:00 बजे तक
5	ई-निविदा तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि/समय	13.12.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे से
6	ई-निविदा वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि/समय	14.12.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे से

उपरोक्त ई-निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> तथा www.nppmanjhanpur.in से डाउनलोड कर अथवा नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

(ओमकार पटेल)
अवर अभियन्ता (सिविल)
न.पा.परि. मंझनपुर कौशाम्बी

(अनुप शर्मा)
अध्यक्ष अधिकारी
न.पा.परि. मंझनपुर कौशाम्बी

(वीरेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष
न.पा.परि. मंझनपुर कौशाम्बी

संख्या 1872 /न0पा0परि0मं0/ई-निविदा/2023

दिनांक 20 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को अवलोकनार्थ।
2. विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापित अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में लघु अक्षरों में प्रकाशित करके उसकी दो प्रतिया इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे प्रकरण में आग्रिम कार्यवाही की जा सकें।
3. नगर पालिका परिषद मंझनपुर की वेब साइट www.nppmanjhanpur.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

(अनुप शर्मा)
अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मंझनपुर-कौशाम्बी